न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022/
दायरा तिथि : 03-08-2022
फैसला तिथि : 21-12-2022

प्रार्थी::–

निखिल सिंह परमार पुत्र श्री करणसिंह परमार जाति रावणा राजपूत
निवासी खुडाला फालना तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:–

1. निखिल सिंह परमार .... स्वयं प्रार्थी
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार, बाली .... पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता द्वारा ग्राम खुडाला तहसील बाली मे धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1255 रकबा 1.1300 हैक्टर मे **दर्ज पिता का त्रुटिपुर्ण नाम कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह को दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम करणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि मे पिता का त्रुटिपुर्ण नाम **कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** दर्ज होने तथा प्रार्थी के पिता द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैक डायरी व मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम **करणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का **त्रुटिपुर्ण नाम कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** के स्थान पर **करणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम **करणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक डायरी व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय पिता का त्रुटिपूर्ण नाम **कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम खुडाला तहसील बाली मे धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नबर 1255 रकबा 1.1300 हैक्टर में **दर्ज पिता का त्रुटिपुर्ण नाम कानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह को दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम करणसिंह पुत्र अर्जुनसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner